

जयलाल बनाम हीरानन्द वगै०

मु०नं० 11/2020

दावा अ०धा० 88

दिनांक -13.02.2020 वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 72 रकबा 1.19 है०, ख.नं. 168 रकबा 0.01 है० गै०मु०चाह, ख.नं. 168 रकबा 5.89 है० वाक्रे ग्राम बनगोठड़ी खुर्द का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./12/2831 दिनांक 25.08.2012 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरांमद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

11-9-20 - आज पत्रावली वादी 52 रकबा 152 ली.पे.सी. के
वादी 72 रकबा 1.19 (रकबा) पत्रावली का सहायक क्रिया निर्णय
डिक्री 13-2-20 में रकबा 167 (रकबा) 0.01 है। गै.मु.चाह
168 रकबा 5.89 (रकबा) पत्रावली वादी 168 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह
वादी 168 रकबा 5.89 (रकबा) पत्रावली वादी 168 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह
वादी 167 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह 0 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह
वादी 167 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह 0 रकबा 0.01 है। गै.मु.चाह

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़



उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़